र्दश माला, खंड 19, अंक 25

बुधवार, 22 मार्च, 2006
1 चैत्र, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 60
Dated 30 Oct 2007

(खण्ड 19 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्रतिमा श्रीवास्तव
मुख्य सम्पादक

सरिता नागपाल
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला खंड 19 सातवां सत्र, 2006/1928 (शक)

अंक 25, बुधवार, 22 मार्च, 2006/1 चैत्र, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-3
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	3, 18
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
चौदहवां प्रतिवेदन	3
नियम 377 के अधीन मामले	4-13
(एक) मुख्य महाप्रबन्धक, बी.एस.एन.एल. का कार्यालय जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता	
चौधरी लाल सिंह	4
(दो) दार्जिलिंग में रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से वहां पर्यटन को बढ़ावा देने और चाय उद्योग का विकास किये जाने की आवश्यकता	
श्री डी. नरबुला	4-5
(तीन) मणिपुर में मौजूदा खेल अवसंरचना के बेहतर उपयोग तथा आगामी ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वहां और अधिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित किए जाने की आवश्यकता	
डा. टोकचोम मैन्या	5
(चार) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई हैं, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	5-6
(पांच) मध्य प्रदेश में शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता	
श्री थावरचन्द गेहलोत	6
(छह) मध्य प्रदेश के नीमच में एक विमानपत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	6-7
(सात) पंजाब के कपूरथला में रेल सवारी डिब्बा कारखाना के निजीकरण के बारे में किए गए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री अविनाश राय खन्ना	7
(आठ) उत्तर प्रदेश के बरेली में गैस ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सी एन जी स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष गंगवार	7
(नौ) वडीनार क्षेत्र को कांडला पोर्ट की सीमा से अलग करने और इसे गुजरात राज्य में वापिस किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	7-8

विषय	कॉलम

(दस) कर्मकारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में बंद पड़ी खानों को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 8

(ग्यारह) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के अनुसार कोयला कर्मकारों को बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 8-9

(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डा. शफीकुर्रहमान बर्क 9

(तेरह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और महोबा क्षेत्रों में ओलावृष्टि और वर्षा के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें विशेष राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 9-10

(चौदह) बिहार के गया जिले में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी 10

(पन्द्रह) बिहार में गया और तोड़ी के बीच चतरा से होकर नई रेल लाईन बिछाए जाने और बरवाडीह–चिरमिर रेल खंड के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल 10-11

(सोलह) वर्षाजल का संचयन करने और इसके उचित बहाव के उद्देश्य से तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलसमुच्चय का गाद निकालने के लिए तथा और अधिक जल प्रवाह रोकने वाले बांध बनाए जाने हेतु धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी 11

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बिलवाहारी घाट पर बांध का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री मित्रसेन यादव 11

(अठारह) राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के सभी जिलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 12

(उन्नीस) कर्नाटक के बांदीपुर के पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्माण कार्य रोके जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना 12

(बीस) 13 मई, 2006 को बुद्ध जयंती समारोह मनाए जाने का अनुरोध

श्री रामदास आठवले 13

अध्यक्ष द्वारा निवेदन

सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बारे में 14-18

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2006 18-19

विचार करने के लिए प्रस्ताव 18

खंड 2 और 1 19

पारित करने के लिए प्रस्ताव 19

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने के बारे में 25

राष्ट्रगीत 26

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचार्य

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 22 मार्च, 2006/1 चैत्र, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (संभल) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है . ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पत्र मत दिखाइये। इसकी अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही पुनः पूर्वाह्न 11.15 बजे समवेत होने तक स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पूर्वाह्न 11.15¼ बजे

(इस समय श्री राजनरायन बुधौलिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए।)

पूर्वाह्न 11.15½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब सभा–पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी कार्य होगा।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : श्री पी.आर. किन्डिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2006–2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 4091/2006]

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2006–207 के निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 4092/2006]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : महोदय मैं राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) का.आ. 1818(अ) जो 27 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर–पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(2) का.आ. 127(अ) जो 1 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर–पूर्णिया खंड) के निर्माण (चौड़ा करने) के लोक प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 4093/2006]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, मैं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के वर्ष 2006–2007 के परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 4094/2006]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2005–2006 और 2006–2007 के क्रमशः निष्पादन बजट और परिणाम बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 4095/2006]

पूर्वाह्न 11.16 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्य सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 मार्च, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 21 मार्च, 2006 को यथा पारित कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2006 सभा–पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.16½ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं "कोल इंडिया लिमिटेड में जनशक्ति योजना, मशीनरी का उपयोग और आउटसोर्सिंग" विषय पर कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2005–2006) का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आज नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए और वे सभा की कार्यवाही का भाग होंगे।

(एक) मुख्य महाप्रबन्धक, बी.एस.एन.एल. का कार्यालय जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : जम्मू स्थित बी.एस.एन.एल. के मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय में कार्यरत अधिकांश कर्मचारी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं तथा भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना केन्द्र सरकार की नीति के विरूद्ध है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बी.एस.एन.एल. के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इस खबर से जम्मू के लोग अत्यंत परेशान तथा क्षुब्ध हैं। लोगों में असंतोष तथा नाराजगी है और यदि केन्द्र सरकार इस ओर कोई कदम उठाती है तो जम्मू में कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। श्रीनगर में पहले से ही बी.एस.एन.एल. महाप्रबंधक का कार्यालय है जिन्हें अपना कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधान मुख्य महाप्रबंधक की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यदि श्रीनगर में तत्काल किसी पृथक मुख्य महाप्रबंधक की आवश्यकता है तो इस कार्य के लिए श्रीनगर में अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक की नियुक्ति की जा सकती है।

अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें और कार्यालय स्थानान्तरण के आदेश को तत्काल निरस्त करे।

(दो) दार्जिलिंग में रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से वहां पर्यटन को बढ़ावा देने और चाय उद्योग का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग) : दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। यह इस देश और दुनियाभर के पर्यटकों के लिए छुट्टियां मनाने का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र चाय, इमारती लकड़ी और पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है परन्तु बीते वर्षों की पहाड़ों की यह रानी आज पूर्णतया उपेक्षित है।

इस छोटे से पहाड़ी पर्यटन क्षेत्र में प्रतिवर्ष काफी संख्या में पर्यटक आते हैं परन्तु अभी तक इस कस्बे में पर्यटन के विकास हेतु कोई भी ठोस कार्य नहीं किए गए हैं। प्रसिद्ध खिलौना रेल जो पर्यटकों के

---

* सभा पटल पर रखे माने गए।

आकर्षण का केन्द्र है, आज पूर्णतया उपेक्षित हैं और मिरिक, कलिंपोंग और कुरसियोंगे जैसे प्रसिद्ध स्थानों की स्थिति भी काफी खराब है।

दार्जिलिंग की चाय को 'विश्व की शैम्पेन' के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह चाय उद्योग दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। चाय का उत्पादन घटा है और बागान बंद कर दिए गए हैं जिसके कारण चाय बागानों के मजदूरों और उनके परिवारों के सामने बेरोजगारी और वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई है। चाय बागानों के बंद होने से असहाय और परेशान हाल मजदूर आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए हैं। अतः, मैं केन्द्र सरकार और संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर ध्यान दें और इस पहाड़ी पर्यटन स्थल के विकास व यहाँ के लोगों के उत्थान एवं उनके लिए रोजगार सृजन की दिशा में तत्काल और समुचित उपाय करें।

(तीन) मणिपुर में मौजूदा खेल अवसंरचना के बेहतर उपयोग तथा आगामी ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वहां और अधिक राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित किए जाने की आवश्यकता

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : ओलंपिक–2008 आरम्भ होने वाले हैं। राष्ट्रमण्डल खेल चल रहे हैं। मैं अपने देश के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। मणिपुर से दो भारोत्तोलकों, सुश्री एन. कुन्जुरानी देवी और सुश्री युमनाम रेनुबाला चानू ने मेलबोर्न में देश के लिए स्वर्ण पदक जीते। भारोत्तोलन में सुश्री कुन्जुरानी ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता और सुश्री रेनुबाला चानू ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता। मेरा राज्य, मणिपुर बहुत से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का घर रहा है जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। मणिपुर में खिलाड़ियों के लिए अच्छी अवसंरचना है और यहाँ पांचवें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया गया। यहाँ राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि इस अवसंरचना का भरपूर उपयोग किया जा सके। मैं केन्द्र सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस बात का ध्यान रखे कि इस राज्य में और अधिक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएं जिससे कि यहां उपलब्ध अवसंरचना को बनाए रखा जा सके तथा उसका भरपूर उपयोग भी किया जा सके व मणिपुर सहित दूसरे राज्यों के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकें जिससे सुश्री कुन्जुरानी देवी तथा सुश्री रेनुबाला चानू जैसे खिलाड़ियों को ओलंपिक में पदक जीतने हेतु प्रशिक्षित भी किया जा सके।

(चार) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हो गई हैं, उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष फागुन के महीने में बेमौसम बरसात ने अपना रौद्र रूप दिखाकर बेमौसम गरज कर आंधी, पानी एवं ओलावृष्टि से देश के अनेक प्रदेशों में किसानों तथा ग्रामीण मजदूरों को रूला दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश जिले में चार–पांच लोगों सहित मध्य प्रदेश में अनेक व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठे हैं। किसानों के चेहरे पर उदासी छा गयी है क्योंकि प्रकृति के प्रहार से खड़ी फसल या कटी फसल सड़ गयी है जिससे गंभीर नुकसान पहुंचा है। किसानों को फसल की नुकसानी का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सहित उन सभी राज्यों में जहां प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों को रूलाया है, वहां विशेष पैकेज देकर ग्रामीण विकास की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिये क्योंकि किसान अगर टूट गया तो सारी अर्थव्यवस्था ठप्प हो जायेगी। वैसे ही कई राज्यों में किसान कर्ज की मार से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अतः भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने के लिए किसानों को विशेष सहारा देने की आवश्यकता है।

(पांच) मध्य प्रदेश में शाजापुर में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शाजापुर, मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला मुख्यालय पर कक्षा 9वीं तक केन्द्रीय विद्यालय चल रहा है। प्रत्येक कक्षाओं के दो–दो सैक्शन हैं अर्थात् छात्र–छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है। इस विद्यालय का संचालन स्थल कम पड़ता है। इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध करा दी गयी है। भवन निर्माण करना आवश्यक है। मैं सरकार से इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु मांग करता रहा हूं।

मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाये तथा भवन निर्माण कराया जाये।

(छह) मध्य प्रदेश के नीमच में एक विमानपत्तन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से चाहे हम देश की चिंता करें या प्रदेश की, कतिपय महत्वपूर्ण तथ्यों को देखना होगा। इस दृष्टि से विकास में उद्योगों का भी अपना स्थान है। अतः औद्योगिक विकास की दृष्टि से स्थल, विद्युत व संबंधित रॉ मैटीरियल के साथ सड़क, रेल व हवाई यातायात की सुविधा भी जरूरी है। मध्य प्रदेश हवाई यातायात में काफी पीछे है और इस दृष्टि से औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रदेश के महत्वपूर्ण नगर हवाई यातायात से वंचित हैं उनमें नीमच भी प्रमुख है। सामरिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से व औद्योगिक दृष्टि से उसका अपना स्थान है। सी.आर.पी.एफ. का प्रमुख

केन्द्र है। यहां यद्यपि अच्छी हवाई पट्टी है जहां छोटे जहाज उतरते हैं, उड़ान भरते हैं पर यदि यहां हवाई अड्डा बनता है तो इसका पूरा विकास होगा। दिल्ली, मुम्बई, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद आदि से सीधा सम्पर्क होगा। अतः मेरा माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यहां हवाई अड्डा बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दें।

(सात) पंजाब के कपूरथला में रेल सवारी डिब्बा कारखानों के निजीकरण के बारे में किए गए निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : रेल विभाग का पंजाब के कपूरथला में स्थित रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना ही एकमात्र ऐसा कारखाना है जो अपनी गुणवत्ता बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इसने रिकार्ड समय में निर्यात के आदेश निष्पादित किए हैं। चालू वर्ष में 28.2.2006 तक आर.सी.एफ. ने 6566 मजदूर लगाकर 2083 जी.एस. रेल डिब्बा इकाइयों का उत्पादन किया है। इसके लिए 10,000 मजदूर लगाकर 1000 जी.एस. डिब्बों की इकाइयों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पंजाब को इस इकाई पर गर्व है। अब, सरकार इस ईकाई का निजीकरण करने की योजना बना रही है। इससे यहां के कर्मचारियों और जनता में व्यापक रूप से असंतोष है। यह निर्णय पंजाब के हितों के विरूद्ध है और इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं सरकार से रेल के डिब्बे बनाने वाले कपूरथला, पंजाब स्थित इस कारखाने का निजीकरण न किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) उत्तर प्रदेश के बरेली में गैस ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सी एन जी स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. के द्वारा बरेली उ.प्र. में पाईप गैस के रूप मे प्रदूषण रहित सी.एन.जी. गैस की आपूर्ति हेतु निर्णय लिया गया था। संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं तथा पाइप डालने का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है।

मेरा आग्रह है कि बरेली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, में प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को पूरा करें तथा सी. एन.जी. स्टेशन की स्थापना करें।

(नौ) वडीनार क्षेत्र को कांडला पोर्ट की सीमा से अलग करने और इसे गुजरात राज्य में वापिस किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री ने दिनांक 27.1.2004, 24.1.2005 और 27.6.2005 को पोत परिवहन मंत्रालय को वाडीनार क्षेत्र (एल.ओ.सी. के एस.बी.एम. के अतिरिक्त) को काण्डला पत्तन की सीमाओं से अलग करके उसे पुनः गुजरात राज्य को सौंपने के लिए पत्र लिखे थे।

मैं सरकार से इस मुद्दे को शीघ्रातिशीघ्र हल करने का अनुरोध करती हूं।

(दस) कर्मकारों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र में बंद पड़ी खानों को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के कई भागों में वन क्षेत्र में वन क्षेत्र के नाम पर पहाड़ी क्षेत्रों में खानें बंद हैं। राजस्थान में भी यही स्थिति है। कई खानें इसी नाम पर बंद हैं। खानों के बंद होने से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने जीविकोपार्जन की विकट समस्या हो गयी है। हजारों की संख्या में जो ट्रक व ट्रैक्टर इस कार्य में लगे हुए थे वे भी बेकार हो गए हैं और जिन लोगों ने अपनी वन क्षेत्र की खान को पैसा उधार लेने के लिए गिरवी रखी हुई थी, वह भी बिक गयी है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जो क्षेत्र वन क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आते हैं, एक भी वृक्ष वहां नहीं लगा हुआ है, उन क्षेत्रों की खानों को चालू किया जाये।

(ग्यारह) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के अनुसार कोयला कर्मकारों को बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : देश के कोयला श्रमिकों में एन.सी. डब्ल्यू.ए. के अनुसार मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त है। कोल इंडिया लिमिटेड का प्रबन्धन यह बहाना बनाकर भुगतान करने से इंकार कर रहा है कि कोयला मंत्रालय संयुक्त रूप से निर्धारित शर्तों के अनुसार, भुगतान करने पर सहमत नहीं है।

महोदय, अंधाधुंध तरीके से बाहर से कार्य करवाने तथा कोल इंडिया लिमिटेड व इसकी सहायक कंपनियों के लिए आरक्षित ब्लाकों को निजी एजेंसियों को देने से सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उद्योग के हितों को हानि पहुंची है।

इसका विरोध करने के लिए पूरे भारत के कोयला श्रमिक 27 मार्च, 2006 से प्रबन्धन के साथ असहयोग करेंगे।

अतः, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह मार्च, 2006 के अंत तक बकाया राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करे तथा बाहर से किसी भी प्रकार का कार्य कराने पर रोक लगाए, तथा कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों के लिए आरक्षित कोल ब्लाकों को किसी भी प्रकार से निजी क्षेत्र की एजेंसियों को सौंपना बंद करे।

(बारह) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी उद्योग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद जिला जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, की आबादी लगभग 40 लाख है। जिले के साथ–साथ यहां कमिश्नरी व डीआरएम आदि केन्द्र सरकार के कई ऑफिस भी हैं। बड़ी रेलवे लाइन व नेशनल हाइवे से बखूबी जुड़ा है और एयरपोर्ट का प्रस्ताव भी गया हुआ है। पीतल उद्योग का यह बहुत बड़ा कारोबारी व एक्सपोर्ट सेंटर है। यहां से करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा सरकार को हर साल प्राप्त होती है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद यहां केन्द्र सरकार द्वारा एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगायी गयी है, जिसका अफसोस है। मेरे जिले की आबादी हर साल बहुत तेजी से बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के साथ–साथ बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ सालों से पीतल उद्योग के कारोबार में भी गिरावट आयी है, जिसकी वजह से तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो कि एक बेहद फिक्र की बात है।

इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे इस औद्योगिक शहर मुरादाबाद में केन्द्र सरकार द्वारा एक बड़ी इंडस्ट्री जल्द से जल्द लगवाने की मेहरबानी करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और महोबा क्षेत्रों में ओलावृष्टि और वर्षा के कारण जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें विशेष राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 मार्च से लगातार हुई कई दिनों तक बारिश, ओलावृष्टि एवं तेज हवा के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर–महोबा के अनेक भागों में किसानों की फसल पूर्णतयाः बर्बाद हो गयी है। इसमें काफी लोगों की जानें भी गयी हैं तथा अनेक घायल हो गये हैं। गांव की बिजली की व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो गयी है। संचार व्यवस्था अस्त–व्यस्त हो गयी है। मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान पिछले 4 सालों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। काफी पशु मारे गए। कच्चे मकान ढह गये। लगातार झेल रहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण गरीब लोगों एवं किसानों के मुंह का निवाला बार–बार छिन जाता है, जिस कारण अनेक लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या पैदा हो गयी है। विगत वर्ष भी मैंने सूखा, बाढ़ एवं ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुए किसानों का मामला सदन में उठाया था। केन्द्र सरकार द्वारा वहां सर्वे भी कराया गया, परन्तु खेद है कि आज तक किसी भी प्रकार की केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गयी।

अतः सदन के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर–महोबा तेज बारिश, ओलावृष्टि एवं तेज हवाओं के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने हेतु केन्द्रीय टीम भेजी जाये तथा प्रभावित किसानों को 1000 हजार रुपए प्रति एकड़ मुआवजा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाये। साथ ही रोजगार हेतु एक विशेष पैकेज दिया जाये।

(चौदह) बिहार के गया जिले में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में विशेषकर गया जिले के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी का काफी अभाव है। यहां पर लोग स्वच्छ पानी के अभाव में संदूषित पानी को पीने के लिए मजबूर है, जिसके परिणामस्वरूप वे तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए यहां लगने वाले पितृपक्ष मेला तथा कालचक्र में पर्यटकों को भारी कमी आयी है। फलस्वरूप, विदेशी मुद्रा राजस्व में काफी कमी आयी है। गया एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का धार्मिक एवं पर्यटक स्थल है।

ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी की भारी किल्लत से पशु मर रहे हैं, जिसका सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है।

इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार राज्य के गया जिले के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध करवाये।

(पन्द्रह) बिहार में गया और तोड़ी के बीच चतरा से होकर नई रेल लाईन बिछाए जाने और वरवाडीह-चिरमिर रेल खंड के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान गया से टोरी वाया चतरा नया रेल मार्ग बनाने का कार्य अगर शुरू किया जाये तो हम दिल्ली से रांची के बीच चलने वाली रेल सेवाओं में 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर सकते हैं। साथ ही वरवाडीह से चिरीमिरी तक अपूर्ण रेल मार्ग का निर्माण अविलम्ब शुरू करवाया जाये तो इससे भी हम हावड़ा से मुम्बई के बीच की दूरी करीब तीन सौ किलोमीटर कम कर सकेंगे। इन रेल मार्गों के बनने से हम रेल यात्रियों के समय को काफी सीमा तक बचा सकते हैं। इससे रेल सेवा के प्रचालन में कुशलता आयेगी। उपरोक्त क्षेत्रों में खनिज एवं खनन कार्य अत्यधिक होता है, जिससे रेल विभाग को खनिज पदार्थ के माल ढोने के कार्य से अधिक आय प्राप्त होगी और इन पिछड़े जिलों को विकास के अवसर मिलेंगे।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गया से टोरी वाया चतरा का नया रेल मार्ग एवं वरवाडीह से चिरीमिरी के रेल मार्ग के अधूरे कार्य को शुरू करने का कार्य जनहित में शीघ्रातिशीघ्र किया जाये।

(सोलह) वर्षाजल का संचयन करने और इसके उचित बहाव के उद्देश्य से तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बुदुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जलसमुच्चय का गाद निकालने के लिए तथा और अधिक जल प्रवाह रोकने वाले बांध बनाए जाने हेतु धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र श्रीपेरूम्बुदूर में हाल ही की अभूतपूर्व वर्षा से झीलों और बांधों में दरार पड़ गई हैं। वहां झीलों और तालाबों में जल संचयन करने अथवा जल की निकासी का उचित प्रबन्ध नहीं है जिसके कारण पानी की बर्बादी तो हुई ही है, इसके साथ-साथ सार्वजनिक, निजी सम्पत्तियों, कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि झीलों और नदियों से उचित रूप से गाद नहीं निकाली गई और इसके अलावा जिले में पर्याप्त बांध भी नहीं हैं।

इसलिए, मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जहां कहीं भी आवश्यक हो वहां और बांध बनाने के लिए नाबार्ड के माध्यम से निधियां आवंटित की जाएं और नदियों, झीलों और तालाबों की गाद निकाली जाए जो कृषि और पेयजल के उद्देश्य के लिए बहुत लाभकारी होगा।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विलवाहारी घाट पर बांध का विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, राज जन्म भूमि अयोध्या, जनपद-फैजाबाद, उ.प्र. देश का पवित्र तीर्थस्थल एवं विभिन्न धर्मों के आस्था का केन्द्र है। प्रतिवर्ष कम से कम करोड़ों लोग स्नान-पूजापाठ एवं दर्शनार्थ आते हैं। यहां से मात्र 14 कि.मी. की दूरी पर महाराज दशरथ जी की समाधि स्थल विल्वहरि घाट स्थित है। इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर जाने के लिए घाघरा नदी के दाएं किनारे स्थित बाढ़ से बचाव हेतु बनाया गया बांध ही एकमात्र आवागमन का सहारा है।

हमारी केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय पर्यटन विभाग से पुरजोर मांग है कि करोड़ों लोगों के आवागमन की सुविधा एवं उक्त धर्म स्थल पर पूजा अर्चना हेतु उक्त बांध को विकसित तथा सुदृढ़ एवं सौन्दर्यीकृत कर, अति रमणीय पर्यटक स्थल बनाकर अयोध्या - वाराणसी मिनी बाइपास मार्ग के रूप में प्रशस्त कर दिया जाये।

(अठारह) राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के सभी जिलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कृषि-जलवायु परिस्थितियों पर आधारित होने के कारण उड़ीसा में ऊष्णकटिबंधीय। उप-ऊष्णकटिबंधीय तथा शुष्क क्षेत्र के फलों, सब्ज़ियों, मसालों की खेती की अपार संभावनाएं हैं। विगत में उड़ीसा के सभी 30 जिलों में बागवानी गतिविधियां कृषि योजनाओं के वृहत प्रावधान के अंतर्गत चलाई जाती थीं जिनमें से 90% राशि भारत सरकार द्वारा और 10% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती थीं। वर्ष 2005-2006 से केवल 16 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्य कर रहा है और यद्यपि कृषि-जलवायु दशाएं अनुकूल हैं फिर भी शेष 14 जिलों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। राज्य योजना में निधियों की कमी के कारण इन जिलों में कोई बागवानी कार्यक्रम लागू नहीं किए जा रहे हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी 30 जिलों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल किया जाए। विकल्प के तौर पर शेष 14 जिलों को केंद्र द्वारा प्रयोजित - कृषि योजनाओं को वृहत प्रबंधन के अंतर्गत लाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त मेरा कहना है कि केवल 3 फलों की फसलों जैसे आम, काजू, केला को राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है जबकि लीची और नींबु वंश की फसलों की व्यावसायिक खेती के लिए संभावनाओं वाले क्षेत्र उपलब्ध हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि लीची और नींबु वंश की फसलों की खेती को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल करने पर विचार किया जाए।

(उन्नीस) कर्नाटक के बांदीपुर के पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्माण कार्य रोके जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अन्य व्यापारी कर्नाटक के बांदीपुर में बहुत कम कीमत देकर भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। जो लोग इस पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं वे जनजातीय और दलित लोग हैं। व्यापारियों द्वारा उन्हें विस्थापित किया जा रहा है और पंचतारा होटल तथा वहां लग्ज़री गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। इससे बांदीपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। इस कदम ने सम्पूर्ण क्षेत्र में वनस्पति और जीव-जन्तुओं को भी खतरे में डाल दिया है। कुछ दुर्लभ पशु पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। मैंने इस संबंध में पहले ही केंद्र सरकार को अनेक पत्र भेजे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः मेरा माननीय पर्यावरण और वन मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करें और उस पर्वतीय क्षेत्र के गरीब लोगों को बर्बाद होने से बचा लें।

(बीस) 13 मई, 2006 को बुद्ध जयंती समारोह मनाए जाने का अनुरोध

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा 2025वीं बुद्ध जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनायी गयी थी। अब 13 मई, 2006 को 2050वीं बुद्ध जयंती आ रही है। इसलिए केन्द्र सरकार 2025वीं बुद्ध जयंती की भांति 2050वीं बुद्ध जयंती भी पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाए जाने हेतु कारगर कदम उठाये।

केन्द्र सरकार ने जनसंख्या सेंसेक्स में बुद्धिस्ट की जनसंख्या को अलग से दिखाये जाने हेतु निर्देश दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार से अपेक्षा है कि वह देश की जनसंख्या में बुद्धिस्ट की जनसंख्या अलग से दर्शाये जाने हेतु कारगर कदम उठाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.17½ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.02½ बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप अपनी सीट्स पर जाएं। अपोजीशन जो भी बोलना चाहती है, आडवाणी जी को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

अपराह्न 1.01¼ बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : अगर आडवाणी जी बोलेंगे तो हमारे लीडर भी बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके आपको बोलने का समय दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई सालों में पहली बार ऐसा अवसर आया है कि जब हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ बजट के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगी और आज सदन 10 मई तक के लिए स्थगित होगा, क्योंकि बीच में विधान सभाओं के चुनाव आ रहे हैं और उसके कारण सब लोगों ने सलाह मशविरा करके सहमति से तय किया कि इस बार स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास डिमांड्ज़ फॉर ग्रांट्स न जाएं, हम पहले ही फाइनैन्स बिल पास कर लें और फाइनैंस बिल पास हो गया।

आज अचानक सुबह-सुबह अखबारों में खबरें छपीं और इधर-उधर से जो चर्चा सुनी, उसके कारण मन में आशंका पैदा हुई, क्योंकि साधारणतः हम अपेक्षा करते थे कि आज आप जब शाम को स्थगित करेंगे तो 10 मई तक के लिए स्थगित करेंगे, लेकिन यह भी चर्चा सुनी गई कि आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाएगा, इस उद्देश्य से, कि सरकार दोनो हाउसेज़ को प्रोरोग करके एक ऑर्डिनैन्स इश्यू कर सके। यह संविधान जानने वाले सब लोग जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय ऐसी कल्पना की जा रही है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस को चलने दें। आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

....*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैंने वैसा ही नहीं कहा है। यहां तक कि मैं बताऊं कि मैंने जाकर पहले सैक्रेटरी जनरल से पूछा कि आज हाउस एडर्जन होगा तो क्या 10 मई तक एडजर्न रहेगा? उन्होंने कहा कि हां, 10 मई तक होगा। मैंने कहा कि यह जो चर्चा सुनी जा रही है कि हो सकता है कि अनिश्चित काल के लिए एडजर्न हो जाए, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसके बारे में आपसे सलाह की जाएगी। उन्होंने इंकार नहीं किया कि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने उसी भाषा में नाप–तोलकर बात कही। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा कानून बना हुआ है लाभ के पद से संबंधित, उस कानून के अधीन एक सांसद को डिस्क्वालिफाइ किया गया है, इलैक्शन कमीशन की सलाह पर हटाया गया है। उस समय तक बड़ी खुशियां मनाई जा रही थीं कि बहुत अच्छा हुआ। आज अचानक जब लगा कि और भी लोग इसके दायरे में आ सकते हैं तो अचानक ऑर्डिनैन्स पास करने की जो कल्पना है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, यह सब कल्पना है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मामलों में ऑर्डिनैन्स पास करने के लिए अचानक हाउस को प्रोरोग करने की कल्पना ही सर्वथा हमको स्वीकार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के नेता – श्री प्रणब मुखर्जी।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सुबह से ...*(व्यवधान)* यदि कोई बोलना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है. ..*(व्यवधान)*

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी बात समाप्त होने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री प्रणब मुखर्जी : प्रो. राम गोपाल यादव, यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06½ बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री प्रणब मुखर्जी : उन्हें बोलने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बाद में बोलूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी पहले आप बोलिए।

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां से श्री आडवाणी ने बात खत्म की है, मैं उससे आगे से शुरू करूंगा। एक संसद सदस्य की सदस्यता चली गई है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके घेरे में हैं। जो कानून आएगा, उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन जिस तरह की अनुशंसा चुनाव आयोग कर रहा है और जिस तरह से वहां पर नियक्ति हुई हैं, 15 मई, 1978 को शाह कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट इसी संसद में रखी गई थी, जिसमें सरकार ने उन सभी सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसमें शाह कमीशन ...* के बारे में फाइंडिंग्स थी कि

[अनुवाद]

वह किसी ऐसे सार्वजनिक पद के उपयुक्त नहीं थे जिनसे निष्पक्षता पूर्ण रवैया अपनाने की अपेक्षा की जाती है। तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने आयोग को बताया था कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रकोष्ठ बनाने का सुझाव दिया था जिनकी छतें एस्बेस्टॉस की बनी हों जिससे कि कतिपय लोगों को भीषण यांत्रणा दी जा सके। इस आशय के एक प्रस्ताव पर भी विचार हुआ था परन्तु कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अंत में यह विचार छोड़ दिया गया। इसके अलावा उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि कुछ नेताओं, नज़रबंद व्यक्तियों को, जो आपातकालीन स्थिति के खिलाफ थे, पागलों के साथ रखा जाना चाहिए।

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

इस तरह के व्यक्ति को, जिसके लिए यह कहा जाए, जिसके लिए संसद मान चुकी हो और संसद में सरकार यह कह चुकी हो कि वह किसी भी जिम्मेदार पद पर रहने के लायक नहीं है, वह व्यक्ति डेमोक्रेसी के संरक्षण के लिए जो सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग है, उस आयोग का सदस्य कैसे नियुक्त किया गया? यह सोचने का सवाल है और इसीलिए तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि –

[अनुवाद]

मुझे अपने सचिव से निर्देश लेने पड़े। उस व्यक्ति को बताया गया उपराज्यपाल था।

[हिन्दी]

ऐसा व्यक्ति बुलडोज करके सारी संस्थाओं को नष्ट कर देगा। इसलिए श्रीमती जया बच्चन के मामले में इतनी जल्दी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कभी ऐसा नहीं हुआ। यह अनप्रेसिडेंटिड है, इल्लीगल है, इम्मोरल है, लेकिन जब इस तरह के लोग वहां होंगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अनप्रेसिडेंटिड है। अगर ऐसा होता है तो सारे लोगों को विश्वास में लेकर ही कुछ किया जा सकता है। मनमाने तरीके से संस्था में जो स्टेब्लिश्ड परम्पराएं हैं, उनसे हट कर कोई निर्णय नहीं लीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल यादव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव : लेकिन जो ...* का मामला है, उस मामले को रिकंसीडर किया जाए और ऐसे लोगों को रिकॉर्ड करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी के मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए बहुत अच्छे लोगों की आवश्यकता है।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता–उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं। प्रोफेसर राम गोपाल जी ने बहुत ही सही बात कही है। मैं समझता हूं कि हम लोकतंत्र के मंदिर में चुन कर आते हैं और चुनाव आयोग चुनावों को सुपरवाइज़ करता है। यह एक कांस्टीट्यूशनल ऑथोरिटी है और इस कांस्टीट्यूशनल प्रतिष्ठान को शक, संदेह और शुबह से ऊपर रखना चाहिए।

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ भी कहने से पूर्व मेरी बात सुनिये। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और आयोग के किसी सदस्य के आचरण पर सभा में केवल प्रस्ताव पर ही चर्चा की जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.10 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब महासचिव राज्य सभा से प्राप्त संदेश पढ़ेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.10¼ बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:–

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 2006 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 20 मार्च, 2006 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.11 बजे

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946' में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 22.03.06 में प्रकाशित

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946' में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुरेश पचौरी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब अनुपूरक कार्य–सूची की मद संख्या–2 पर चर्चा नहीं की जायेगी। श्री सुरेश पचौरी।

श्री सुरेश पचौरी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : दासमुंशी जी कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग पूरी बात समाप्त नहीं कर सके थे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रिकार्ड पर कुछ नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रियरंजन दासमुंशी की बात सुनें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कोई भी बोलेगा उसकी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय बोल रहे हों तो आपको उनके बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। कृपया पहले उनकी बात सुनिए। वे बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं एक रिक्वैस्ट कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन जिस समय स्थगित हुआ था, जिस विषय को लेकर स्थगित हुआ था कि ये जो पीपुल्स रिप्रेजेण्टेटिव हैं, यह किसी एक दल का सवाल नहीं था, यह जनरल सवाल था। यह तो ठीक है कि *...(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.02 बजे

(इस समय श्री सुभाष महरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप बैठ जाइये, प्लीज़।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह किसी दल का सवाल नहीं है, पीपुल्स रिप्रेजेण्टेटिव्य यहां बोल सकते हैं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह वे लोग सभा में व्यवधान डाल रहे हैं मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। वे स्कॉर्पियेन खरीद मामले पर चर्चा का सामना करने से डरते हैं। पूरा विपक्ष ही स्कॉर्पियन पर चर्चा का सामना नहीं करना चाहता और यही कारण है कि वे लोग ऐसा कर रहे हैं। वे भंडाफोड़ होने से बचना चाहते हैं और इसी से बचने के लिए वे स्कॉर्पियन खरीद मामले पर चर्चा से बचना चाहते हैं। यही कारण है कि वे ऐसा कर रहे हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यदि उनमें साहस है तो उन्हें इस पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। मंत्री जी तैयार हैं। विपक्ष के सदस्य केवल स्कॉर्पियन मुद्दे से बचने के लिए यह सब कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 4 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.0½ बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी को दो मिनट बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लोगों की बात हमने सुनी है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अपोज़ीशन को मैंने व्यवधान करते तो देखा है लेकिन रूलिंग पार्टी वाले भी व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.01 बजे

(इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय : अपोज़ीशन वाले तो कई बार बाधा डालते हैं लेकिन रूलिंग पार्टी वाले थोड़ी शोर मचाते हैं।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : ये लोग अपनी बात करते हैं, हल्ला करते हैं और निकल जाते हैं।

[अनुवाद]

उस समय सभा के हमारे नेता को बोलने नहीं दिया गया था। उन्हें बोलने का एक अवसर दिया जाना चाहिए था ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : दासमुंशी जी, पहले आडवाणी जी को सुन लेते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता को जब भी वे चाहें हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है। मैं इस मामले में उनके नेतृत्व के लिए उनका आभारी हूं। मुझे केवल संसदीय मानक और शालीनता के बारे में कहना है। यदि विपक्ष के माननीय नेता कुछ कहते हैं तो कृपया सरकार को उसका उत्तर देने का समय भी दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मुझे लगता है कि आप सभा की बैठक को स्थगित कराना चाहते हैं। मेरा यह सुझाव है कि लोगों को इस भ्रम में रखने से, कि क्या सरकार आज वास्तव में सभा की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर विचार कर रही है, तो यह अच्छा है कि सभा की बैठक को 10 मई तक के लिए स्थगित रखा जाए। मेरे पास लोक सभा सचिवालय का बुलेटिन है इसके अनुसार सत्र का दूसरा भाग बुधवार, 10 मई से मंगलवार, 23 मई 2006 तक चलेगा। यदि इस कार्यसूची में कोई परिवर्तन किया जाना है तो वह परिवर्तन सभी राजनैतिक दलों की सहमति से किया जाना चाहिए। यदि सरकार मनमाने तरीके से कुछ करती है तो मैं सरकार तथा इस सभाको यह बता दूं कि हमें बाध्य होकर तब राष्ट्रपति जी के पास जाना होगा और उनसे मिलकर उनसे यह कहना होगा कि वे बीच में ही इस प्रकार से सत्रावसान करने और विशेषकर इस मुद्दे पर कोई अध्यादेश लाए जाने पर अपनी सहमति न दें। मैं इस सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि वह सभी दलों की सहमति के बिना ऐसा न करे क्योंकि पिछली कार्यसूची में भी सभी दलों की सहमति से ही संशोधन किया गया था। धन्यवाद महोदय ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, कृपया सहयोग दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, इस मुद्दे पर कृपया हमारी बात भी सुनें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता समाचार पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हुए सुबह से दो बार हस्तक्षेप कर चुके हैं। मैं आडवाणी जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पूर्ण रूप से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं भी वर्ष 1971 से इस सभा का सदस्य हूं। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, मैं यह जानता हूं कि सरकार के विशेषाधिकार क्या हैं, सरकार का निर्णय क्या है और वास्तव में सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। अंततः, यह निर्णय अध्यक्षपीठ को ही करना है कि सभा का सत्रावसान कब होगा। ...*(व्यवधान)* आप मुझे केवल अपनी बात पूरी करने दें। महोदय, मैं यह जानता हूं कि कुछ समाचारों के प्रकाशन से सुबह से ही गर्मागर्मी का माहौल बन गया है। मैं आपको बता दूं कि यह सरकार किसी भी चुनौती का सामना करने से नहीं डरती है। हमें, प्रत्येक मुद्दे को चाहे वह कोई भी हो, पारदर्शिता से निपटाना है। हम संसद के प्राधिकार और नेताओं के बीच आम सहमति के महत्व को कमतर नहीं करेंगे। हमने ऐसा कभी नहीं किया है। यदि आज, कल परसों या अगले सत्र में, जब भी ऐसी स्थिति आयेगी, हम निश्चित रूप से नेताओं से परामर्श करेंगे। लेकिन, मुझे ऐसा लगता है कि अनावश्यक रूप से ऐसा लगा कि स्कॉर्पियन रक्षा खरीद पर बहस को टालने मात्र के लिए सुबह से बहाने बनाये जा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जनरल बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.05 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.31 बजे

लोक सभा अपराह्न 4.31 बजे पुनः समवेत हुई।

*[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सरकार से एक

अनुरोध प्राप्त हुआ है। मैं घोषणा करने से पूर्व दलों के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आ जाएं। मैं केवल दस मिनट के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

अपराह्न 4.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.42 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 4.42 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.42 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपराह्न 4.42½ बजे

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, आप हाउस साइने डाई एडजोर्न करें, उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

यह संसद के इतिहास में एक मात्र दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध किया है कि चूंकि वर्तमान सत्र के शेष भाग के दौरान कोई सरकारी कार्य करने के लिए नहीं बचा है अतः सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाये।

अब, राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई जायेगी।

अपराह्न 4.43 बजे

राष्ट्रगीत

(राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.44 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/19/25/ 2006 (एन.)
232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।